गई थी जिससे हजारों श्रिमिकों की जानें खटरे में पड़ गई थों ; यदि हां, तो इस सर्गध में ब्यारा क्या है ; और

(भ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के लिए शिम्मेदार खान-सुक्षा विभाग के श्रीधकारियों और खान प्रवंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाहा का है; श्रीर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कर्जा मंत्रो (ओ इसंत साठे) : (क) ग्रीर (ख) दिनांक 13-14 जुलाई, 1986 की रात में भारी वर्षी के कारण बिजरीह खान के लोहसरा इन्क्लाइन में विकसित कार्यस्थलों पर छिछले कवर एरिया में 25×15 मीटर का पाउ होल बन गया या । वर्षा का पानी पाट-होल के जरिए भूमिगत क्षेत्र में घसने लगा परन्तु कोई मौत नहीं हुई क्योंकि प्रभावित क्षेत्र के नाचे या उसके आसपास कोई कामगर काम पर नहीं लगाया गया था दिनांक 14 जुलाई, 1986 की प्रातः सन्त पर एक बांध बनाय। ग्या ताकि वर्षा का पानी लाट-होल की और नहीं जाकर दूसरी मोर छाए। जो पानं मुस्यत खान में एक व हो गया था, उसे भा पंप से बाहर भीनका ल दिया गया । चुंकि यह दुर्घटना कुछ ही घंटों में 76 मि.मो.तक असाधारण मारी वर्षा होने से हुई ग्रार यह ऐसी घटना थी जिस पर प्रबंधमंडल का नियंत्रण नहीं था, इसलिए कर्तव्य की उपेक्षा के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं एठता ।

उन किसानों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार, जिनकी मूमि का कोयला-खनन कार्य हेतु श्रिष्टिग्रहण किया गया है

1787 श्री शरद यादव : क्या कर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंद्रालय ने एक परिपत्न जारी करके यह निदेश दिया है कि उन किसानों के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार न दिया जाए जिनकी तीन एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

- (ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने किसानों की भूमि का ग्रधि-ग्रहण किया गया है; और
- (ग) क्या यह भी सच है कि अधि-कांश श्रादिवासी किसानों के पास तीन एकड़ से भी कम भूमि है, और यदि हां, तो क्या सरकार परिपत्न में संशोधन करने का विचार रखती है ?

कर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे): (क) जी, नहीं। कोयला विभाग की यह नीति है कि यदि संबद्ध परियोजना में रोजगार की गुजाइका हों तो नौकरी देने में भू-विस्थापितों को वरीयता दी जाए। सरकार ने आदेश जारी करके सरकारी उपक्रमों हारा ग्रिधग्रहीत भूमि के मालिकों को, उनसे श्रिधग्रहीत भूमि के श्राकार का विचार किए विना रोजगार देने की पुरानी कार्य प्रथा विल्कुल सामप्त कर दी है। फिर भी ऐसी प्रत्येक परियोजना में—जिसके लिए मूमि का श्रिधग्रहण किया जाता है—भूवं-चितों के लिए पुनर्वास के श्रन्य उपाय किए जाएंगे।

- (ख) सूचना एकत्र की जा रही है श्रीर सभा पटल पर रख दी जाएगी।
- (ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि झादि-वासी किसानों के स्वामित्व वाली भूमि के एकड़ों की संख्या का कोई महत्व नहीं है।

## **Conference of Power Ministers**

1788. SHRI K. VASUDEVA PANI CKER; Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a conference of Power Ministers of States was held in Delhi on 14th July, 1986 to discuss augmentation of power generation and supply in different States; and
- (b) if BO, what are the details of the discussions held and the outcome thereof?